

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा-1/ 2014 बी पार्ट II

जयपुर, दिनांक : 19.9.17

:: आदेश ::

इस विभाग द्वारा राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वित किया गया था। विभिन्न स्तरों से प्राप्त परिवेदनाओं का परीक्षण के पश्चात निम्नलिखित समन्वित किए गए विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर स्वतंत्र रूप से संचालन की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

| क्र. स. | जिला | समन्वित किया गया विद्यालय | विद्यालय जिसमें समन्वित किया गया | समन्वयन के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक | समन्वयन से पृथक किए जाने वाला कॉलम संख्या 3 पर अंकित विद्यालय |
|---------|--------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | नागौर | रा. शिक्षाकर्मि प्रावि खेतास | राउमावि खेतास | 14.08.2014 | रा. शिक्षाकर्मि प्रावि खेतास |
| 2 | सिरोही | विशिष्ट पूर्व राउप्रावि (बाल मन्दिर) सिरोही | राउमावि सिरोही | 14.08.2014 | विशिष्ट पूर्व राउप्रावि (बाल मन्दिर) सिरोही |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,




(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार)।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
- ✓ 6. निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भेजकर निर्देशानुसार लेख है कि समन्वयन से पृथक किए गए विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था संचालन हेतु पूर्ववत संचालन की व्यवस्था करावे
7. संभागीय आयुक्त,
8. जिला कलक्टर,
9. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग।
10. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
12. प्रभारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन।
13. रक्षित पत्रावली।



(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधिकारी, शिक्षा